समाहरणालय, रोहतास, सासाराम।

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद, बिहार एवं डॉ0 अशोक कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा, सासाराम बिहार के अनुशंसा पर रोहतास जिला के विभिन्न मध्य विद्यालय/उच्च विद्यालय/महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए व्यवसायिक छूट के साथ पुस्तकों का क्रय किया जाना है। इस हेतु नमूने की एक–एक प्रति के साथ प्रतिष्ठित प्रकाशकों/वितरकों के अधिकृत विक्रेताओं से वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 05.06.2017 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, रोहतास, सासाराम में आमंत्रित की जाती है। दिनांक 05.06.2017 को जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष, समाहरणालय, रोहतास, सासाराम में अपराह्न 04:00 बजे खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

शर्ते :–

1. तकनीकी निविदा में 20,000/– (बीस हजार) रू0 मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पदनाम से सासाराम में देय हो, संलग्न करना होगा।
2. क्रय की जानेवाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
3. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
4. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिंट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. प्रत्येक पुस्तक अधिमानत आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जाएगी।
7. National Book Trust, NCERT प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिर्टन एवं पैन नं0 की स्वअभिप्रमाणित प्रति जमा करना होगा।
9. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जायेगी।

क	01 से 10 प्रतियों पर	10 प्रतिशत
ख	11 से 25 प्रतियों पर	15 प्रतिशत
ग	26 से 100 प्रतियों पर	20 प्रतिशत
घ	101 से 200 प्रतियों पर	25 प्रतिशत
ड.	201 से 500 प्रतियों पर	30 प्रतिशत
च	501 से उपर प्रतियों पर	35 प्रतिशत

10. निविदाता उपर्युक्त निर्धारित छूट से यदि अधिक छूट देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते है।
11. नमूने के रूप प्रस्तुत पुस्तकों का रेल पार्सल स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों की सूची में निम्नांकित सूचनाए निश्चित रूप से अंकित की जाय।

क्र0	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम एवं पूरा पता	प्रकाशन का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	ISBN संख्या	सजिल्द एवं मूल्य मुद्रित

13. नमूने की एक–एक प्रति (जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित पुस्तक) कार्यालय अवधि में विशेष वाहक या रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक–05.06.2017 तक जमा की जायेगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय वहन नहीं किया जायेगा, साथ ही परिवहन में किसी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी। सभी पुस्तकों का नमूना जमा करना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित पुस्तकों की सूची की छायाप्रति जिला योजना कार्यालय, रोहतास, सासाराम में कार्यालय अवधि में अपने निजि खर्च पर प्राप्त कर सकते है अथवा रोहतास जिला के वेबसाईट www.rohtas.bih.nic.in पर भी देख सकते है।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।